दस रुपये TEN RUPEES INDIA

(60)

श्री ... 30-1-18 ...

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

पुनरीक्षण याचिका कं. ..../2018

फजहल अली आयु वयस्क, PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/01057

आत्मज गौहर अली

निवासी- ग्राम दीवानगंज तहसील व

जिला रायसेन म0प्र0 ----- पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष
   जिला रायसेन जिलाध्यक्ष कार्यालय
   सांची रोड़ रायसेन म0प्र0
2. बुद्धा आत्मज फूल सिंह
   निवासी- ग्राम जमुनिया तहसील व जिला
   रायसेन म0प्र0 ----- प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता, माननीय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 48/निगरानी/ 2012-13 पक्षकार फजहल अली .... पुनरीक्षणकर्ता ... विरूद्ध म0प्र0 शासन व अन्य ... अनावेदकगण में पारित आदेश दिनांक 15. 01.2018 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गई है से दुखी होकर एवं असहमति व्यक्त करते हुये यह पुनरीक्षण याचिका निम्न वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत करता है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/18/1057

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री अबरार अहमद खान द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन पटटा भूमियों का विक्रय संहिता में प्रावधानित प्रावधानों के विपरीत होने से कलेक्टर द्वारा प्रकरण निगरानी में लेकर उभयपक्षों को सुनकर पटटे पर प्राप्त भूमि सक्षम अधिकारी से विधि प्रावधानों के तहत अनुमति प्राप्त किये बिना ही विक्रय किये जाने से संहिता की धारा 165(7) के तहत अंतरण शून्य घोषित करने का आदेश पारित करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	